मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2010 (अग्रहायण 4, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री :-

(क) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, तथा

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :-

(i) वित्त लेखे वर्ष 2009-2010 खण्ड 1 व खण्ड 2, तथा

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2009-2010,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कण्डिका 83 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1931) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

(क) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003, तथा

(ख) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-1998, 1998-1999 तथा 1999-2000,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल नगर में संचालित मैजिक आटो एवं मिनी बसों के परमिट निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामलखन सिंह, मदन कुशवाह, परसराम मुद्गल, सदस्य, रीवा जिले के त्यौंथर क्षेत्र के विधायक के परिजन एवं ड्रायवर के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री खुमान सिंह शिवाजी, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है".

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति का 89 वां से 105 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम धवैया के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम खैरा के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ग) नवांगांव शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम कुलबहेरिया के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ङ) ग्राम सूजी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(च) ग्राम अमोखर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(छ) ग्राम रामपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

-2-

(ज) ग्राम अमोखर में पशु औषधालय खोले जाने,

(झ) ग्राम शाहपुर में शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाने,

(ञ) ग्राम डगडौवा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ; तथा

(ट) ग्राम सिरसा में सामुदायिक भवन खोले जाने,

(2) श्री श्रीकान्त दुबे, सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) ग्राम पहाड़ीखेत में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम अमरछी एवं बरेली में पेयजल व्यवस्था हेतु ग्रेवल बोर मशीन उपलब्ध कराये जाने,

(3) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य, छतरपुर की सिंचाई कालोनी स्थित अनगढ़ टोरिया पहुंच मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराये जाने,

(4) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, बैतूल जिले के कृषि उपज मंडी बैतूल में कृषकों को गुड़ बेचने की व्यवस्था किये जाने,

(5) श्री मोहन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम बावड़ीखेड़ा, गनियारी, चोमा, कांसरोद, धनखेड़ी के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम झाडला, जामुनिया चौहान, सींका, पीपल्यारसोड़ा, लश्करपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,

(ग) नगर तलेन में बुर्दा नेवज पर बैराज एवं स्टाप डेम निर्माण किये जाने, तथा

(घ) नरसिंहगढ़ अंतर्गत बोड़ा नरसिंहगढ़ मार्ग से भैंसाना तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा

(6) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) ग्राम बम्होरी में माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम हरैया के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम कलहरा के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम काटी के हाईस्कूल का उन्नयन किये जाने,

(ङ) ग्राम रजरवारा नं.-1 के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(च) ग्राम बुजबुजा के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(छ) ग्राम नदावन के हाईस्कूल का उन्नयन किये जाने,

(ज) ग्राम घंघरौटा प्लाट के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा

(झ) ग्राम बिचपुरा के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 19 मार्च, 2009 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 892) के उत्तर में संशोधन करने संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 29 सन् 2010) के उपस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

8. वर्ष 2010-2011 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 78 तथा 79 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छः हजार चार सौ बयासी करोड़, चौवन लाख, इक्यासी हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.".

2 घण्टे

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010 (क्रमांक 30 सन् 2010) का पुरःस्थापन *करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत तथा श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 24 नवम्बर, 2010

***अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**